

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, मधेपुरा के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) 01 श्रमिक के दुर्घटना मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को 1,00,000/- (एक लाख रूपए) एवं बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2024 के अंतर्गत 04 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से 2,00,000/- (दो लाख रूपए) तथा 01 श्रमिक के दुर्घटना मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को रू० 2,00,000/- (दो लाख रूपए) अर्थात् कुल राशि रू० 5,00,000/- (पाँच लाख रूपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/ दावेदार एवं आधार संख्या	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता एवं मोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई. एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० सुलोचना देवी, 25, पिन्टू कुमार ठाकुर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिन्टू कुमार ठाकुर (पति) 397392663070	983 19.12.2025 एवं 791 24.09.2025	ग्राम-कदवा' वासा, वार्ड-07, पो०-इटहरी, थाना+प्र०-आलमनगर, जिला-मधेपुरा 7209703841	372135 39731	SBI SBIN00 03571	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक
2	स्व० विरेन्द्र मुखिया, 43, विन्दी मुखिया, अति पिछड़ा वर्ग	पुनम देवी (पत्नी) 319943153324	945 03.12.2025 एवं 715 06.09.2025	ग्राम+पो०-रहटा, वार्ड-09, थाना+प्र०-कुमारखंड, जिला-मधेपुरा 7549243579	100744 103008 1468	BGB PUNB0 MBGB0 6	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक
3	स्व० माया देवी, 62, देवनारायण मंडल, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	देवनारायण मंडल (पति) 816454375099	945 03.12.2025 एवं 789 24.09.2025	ग्राम+पो०-घैलाढ़, वार्ड-06, थाना+प्र०-घैलाढ़, जिला-मधेपुरा 8051564789	313414 63121	SBI SBIN00 09242	रू० 2,00,000/- (दो लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषि श्रमिक
4	स्व० मो० हन्नान, 48, मो० शकूर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	जुलेखा खातून (पत्नी) 243269503935	919 28.11.2025 एवं 797 24.09.2025	ग्राम-गोसाई टोला, वार्ड-04, पो०-तुलसीबारी, थाना+प्र०-मधेपुरा जिला-मधेपुरा 7739912844	371216 43339	SBI SBIN00 08400	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्पर
5	स्व० शंकर कामैत, 41, जगदीश कामैत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	रिकू देवी (पत्नी) 350877987417	919 28.11.2025 एवं 801 24.09.2025	ग्राम+पो०-मानिकपुर, वार्ड-01, प्र०+थाना- मधेपुरा जिला-मधेपुरा 8235328148	422081 000352 46	BOB BARBO MADHE P	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक
6	स्व० मनीष कुमार, 19, संजय कुमार, पिछड़ा वर्ग	संजय कुमार (पिता) 600214883078	919 28.11.2025 एवं 771 19.09.2025	ग्राम-लक्ष्मीनिया, वार्ड-15, पो०-रूपौली जीवछपुर, थाना+प्र०-गम्हरिया, जिला-मधेपुरा 7631811235	583410 110002 119	BOI BKID00 05834	रू० 1,00,000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्पर

कुल :-5,00,000/-

(पाँच लाख रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं०-8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं०-3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-24/2025-196

पटना, दिनांक :- 11/02/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित पुत्र/पुत्री को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 09 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹० 5,00,000/- (पाँच लाख रूपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। श्रम अधीक्षक, मधेपुरा/उप श्रमायुक्त, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

Signed by Rohit Kumar

Date: 11-02-2026 12:44:38

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti

Signed by Rajesh Bharti

Date: 11-02-2026 15:43:01
कार्यकारी निदेशक